(14 / 2006)

राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डीपीआईपी

तृतीय तल,बी ब्लाक,योजना भवन सी स्कीम जयपुर,दूरभास–2226175 फैक्स–5104014

प. 1(66)ग्रा.वि. / डीपीआईपी / पीए / 2003 जयपुर, दिनांक 02.02.2006

जिला कलक्टर
बारां, चुरू, दौसा, धौलपुर,झालावाड, राजसमंद एवं टोंक ।

विषयः–एक गावं में एक से अधिक डेयरी (गाय / भैंस) / बकरी– भेड़ की उप परियोजना स्वीकृति करने के लिये जिला कलक्टर को अधिकृत करने बाबत् ।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की जिला कलक्टर के साथ समीक्षा बैठक दिनांक 24.12.2005 मे यह निर्णय लिया गया था कि जो गैर सरकारी संस्था कलस्टर बेस एप्रोच (Cluster Base approach) पर कार्य कर रही है, उनको एक गाँव मे एक से अधिक डेयरी एवं भेड / बकरी की उप परियोजना स्वीकृत करने के लिये जिला कलक्टर को अधिकृत किया जावे।

जब तक राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई कलस्टर की गाइड लाइन जारी नहीं कर देती है, तब तक गैर सरकारी संस्था कलस्टर के प्रस्ताव जिला परियोजना प्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगे । जिला परियोजना प्रबन्धक उस कलस्टर प्रस्ताव पर अपनी समीक्षा देकर, जिला कलक्टर की अनुशंषा के पश्चात राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्यरत महाप्रबन्धक, परियोजना आंकलन को प्रस्ताव प्रेषित करेंगें । महाप्रबन्धक परियोजना आंकलन राज्य परियोजना निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करवायेगें ।

जो गैर सरकारी संस्था कलस्टर बेस एप्रोच (Cluster Base approach) पर कार्य कर रही है, उनके क्षेत्रों के गाँवो में निम्नलिखित प्रकार से उप परियोजना स्वीकृत की जा सकती हैं

क्र. सं	गतिविधि	दिनांक 26.12.03 के परिपत्र के अनुसार प्रति गांव उप–परियोजना स्वीकृति की जा सकती है	डेयरी कलस्टर एप्रोच के अनुसार प्रति गांव उप परियोजनाऐं स्वीकृत की जा सकती हैं	भेड / बकरी कलस्टर एप्रोच के अनुसार प्रति गांव उप परियोजनाऐं स्वीकृत की जा सकती हैं
1.	डेयरी (गाय / भैंस)	एक समान रूचि समूह को	दो समान रूचि समूहों को	–
2.	भेड / बकरी	एक समान रूचि समूह को	–	दो समान रूचि समूह को

प्रत्येक गांव में एक से अधिक डेयरी (गाय / भैंस) / भेड–बकरी की उप परियोजना स्वीकृत करने के लिए जिले में सामुदायिक निवेश की राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है ।

यह आदेश आर.सी.डी.एफ पर लागू नहीं होगा ।

(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर ।
3. महा प्रबंधक (एफ.ओ. एण्ड ए.एच) राज्य सहकारी डेयरी संघ, जयपुर ।
4. उप निदेशक, डीपीआईपी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यह आदेश दिनांक 24.12.05 की समीक्षा बैठक के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना में जारी किया जा रहा है तथा सुनिश्चित करें कि उक्त आदेश आगामी शासकीय बैठक में प्रस्तुत हो जावे ।
5. जिला परियोजना प्रबंधक, बारां, चुरू, दौसा, धौलपुर,झालावाड, राजसमंद एवं टोंक ।
6. जिला परियोजना समन्वयक, सभी गैर सरकारी संस्थान ।

महाप्रबंधक,परियोजना आंकलन